जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/जीवि/परीक्षा–2/गोपनीय/2016/1412/ दिनांकः 30 जुलाई, 2016

प्रति,

प्राचार्य एवं वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषय :–आपके द्वारा अण्डरटेकिंग के आधार पर छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा समस्त परीक्षार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरवाये जा रहे है। यदि कोई छात्र निश्चित तिथि में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाता है तो उसके लिये परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन दिवस पूर्व तक विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र को ऑफलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं किसी भी प्रकार की अण्डरटेकिंग के आधार पर छात्र को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। क्योंकि समस्त परीक्षा का कार्य ऑनलाइन किया जा चुका है।

इसके उपरान्त भी कई महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं वरिष्ठ केन्द्राध्यक्षों द्वारा छात्रों को अपने स्तर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित कराया जा रहा है। इस प्रकार के छात्र दूरदराज से इस प्रकार का आवेदन लेकर आ रहे हैं कि हमारे प्राचार्य/ वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा के समस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। अब हमारा फार्म एवं फीस जमा कराकर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जावे।

जिन छात्रों को संबंधित प्राचार्य एवं वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा अपने स्तर पर छात्रों को अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। ऐसे छात्रों का परिणाम किसी भी परिस्थिति में घोषित नहीं किया जावेगा। यदि किसी छात्र द्वारा ऐसे प्रकरणों के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य एवं वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष की होगी।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।